



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज, शेखपुरा, पटना-14

**(An Autonomous Institute of Government of Bihar
Statutory University Created by an Act of Bihar State Legislature)**

OFFICE OF THE PRINCIPAL

पत्र सं०: - इ०गाँ०आ०सं० / 2020 / 168 / मे०काँ०

दिनांक: - 28 / 03 / 2020

कार्यालय आदेश

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना का पत्रांक एम. 11/2020/सा० प्र० 3736 दिनांक-03.03.2020 के अनुपालन में संस्थान का मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सभी तरह का परीक्षण (Training/Degree / Diploma Parmedical courses)/ परीक्षा को बिहार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उसके बचाव हेतु तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक बंद रखा गया था।

पुनः Ministry of Home Affairs, Government of India के Notification No.-40-03/2020-DM-I (A) दिनांक 24-03-2020 के आदेश के अनुपालन में चूँकि पूरे भारतवर्ष में कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु 21 दिनों का Lock-Down दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 14-04-2020 तक कर दिया गया है, के आलोक में अब MBBS की सभी पठन-पाठन कार्य (Theory & Practical) एवं परीक्षाएँ दिनांक 14-04-2020 तक स्थगित की जाती है।

निदेशक के आदेशानुसार

ह०/-

प्राचार्य,

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

पत्र सं०:- इ०गाँ०आ०सं० / 2020 / 168 / मे०काँ०

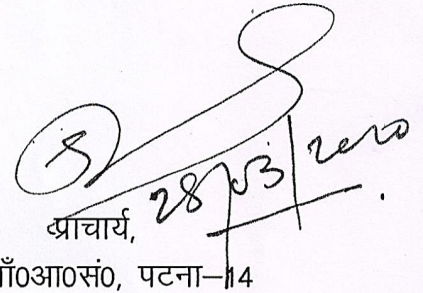
दिनांक:- 28 / 03 / 2020

प्रतिलिपि:-निदेशक कोषांग / संकायाध्यक्ष (ऐकेडमिक) / संकायाध्यक्ष (परीक्षा) / चिकित्सा अधीक्षक

I & II / संबंधित विभागध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

-S.E. (BME) for uploading on Institute website.

-सभी संबंधित सूचना पट्ट।


प्राचार्य, 28/03/2020
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14